

No.-JP/AD/RTI/2022/3

Dated: 12.10.2023

JGM/Admn. (CPIO)
DFCCIL,
5th Floor, Supreme Court
Metro Station Building,
New Delhi-110001

Sub: - Information through RTI Act, 2005.


Ref: - C.O. Email dated 06.10.2023.

Vide letter under reference above, reply of RTI no.910 is as under:-

SN	Information Sought	Reply
1	क्या dfccil द्वारा न्यू फूलैरा से न्यू Kishangarh के मध्य dfccil की रेल लाइन के किनारे dfccil की भू भाग का सीमांकन किया हुआ है।	हां
2	यदि कोई परिवार dfccil रेल लाइन के पास निवास करता है तथा वहा पर उसके भूखंड व dfccil के भूखंड के बीच dfccil द्वारा वहा पर ना तो कोई सीमांकन/ चिह्न लगा रखा/किया गया है। लेकिन आवेदक चाहता है की dfccil द्वारा वहा पर सीमांकन / चिह्न किया जाए ताकि वह अपने भूखंड में निर्माण कार्य कर सके इसके लिए क्या प्रक्रिया है	मुख्य महाप्रबन्धक, डी.एफ.सी.सी.आई.एल, जयपुर कार्यालय में इस हेतु आवेदन किया जा सकता है।
3	dfccil को सीमांकन अनुरोध हेतु किसे आवेदन करना होगा और उसके आवेदन के निपटारे की समय सीमा क्या है	मुख्य महाप्रबन्धक, डी.एफ.सी.सी.आई.एल, जयपुर कार्यालय में इस हेतु आवेदन किया जा सकता है एवं आवेदन निपटारे की कोई समय सीमा तय नहीं है।
4	क्या dfccil द्वारा New Phulera और New Kishangarh के मध्य रेल लाइन किनारे मानव और पशुओं के अवैध आवागमन को रोकने हेतु कोई दीवार/बाड़/अवरोध लगाई गयी है तो उसकी विवरण जानकारी दे और कितनी दूरी में बाड़/दीवार/अवरोध लगाना शेष है और किस कारण से यह शेष है	डी.एफ.सी.सी.आई.एल. द्वारा दीवार/बाड़/ अवरोध जरूरत के अनुसार लगाई जाती हैं। इसके लोकेशन की जानकारी रिकार्ड पर उपलब्ध नहीं है।

The above mentioned information is being submitted under RTI Act, 2005. Hope the above information is complete and satisfactory. If not, then applicant can appeal within 30 days of receipt of the letter to the 1st appellate Authority whose name and address is as under:-

Renu Pushakar Chhibbar, GM/Administration DFCCIL,
5th Floor, Supreme Court Metro Station Building, New Delhi-110001.


(Rakesh Gupta)
Chief General Manager/S&T
DFCCIL Jaipur